**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1320**

**14 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए**

 **सशस्त्र बलों के लिए 'नाइट विज़न' उपकरण**

**1320. श्री विवेक गुप्ताः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हमारे सशस्त्र बलों के पास आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में 'नाइट विज़न' उपकरण मौजूद हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सेना में मौजूद सैनिकों की संख्या और सेना के पास उपलब्ध इस तरह 'नाइट विज़न' चश्मों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इस तरह के उपकरणों के प्रापण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई है, यदि हां, तो इसके लिए कितनी निधियां संस्वीकृत की गई हैं और मंत्रालय द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

**(क) नाइट विजन उपकरण मात्रा निर्धारित मदें हैं और वह सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित प्राधिकार और विनिर्देशन के अनुसार उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार सुरक्षा परिदृश्य की नियमित रूप से समीक्षा करती है और तदनुसार संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर आधारित नाइट विजन उपकरणों सहित समुचित रक्षा उपकरणों को अधिष्ठापित करने का निर्णय लेती है। आकलित आवश्यकताओं की तुलना में पायी गई कमियों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अधिप्राप्तियों द्वारा सतत रूप से दूर किया जाता है।**

**(ख) भारतीय सेना द्वारा धारित भिन्न मौसम/भूभाग से संबंधित क्षमताओं के साथ अन्य कम/लंबी दूरी के उपकरणों में पेसिव नाइट विजन चश्मों (पीएनवीजी) सहित विविध नाइट विजन उपकरण हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों और जेसीओ/अन्य रैंकों की कुल संख्या 12,35,865 है। तथापि, नाइट विजन उपकरणों के प्राधिकार के मानदंड संक्रियात्मक आवश्यकताओं का कार्य है और इसका सेना की संख्या से कोई सह-संबध नहीं है**

**(ग) नाइट विजन उपकरणों सहित प्राधिकृत मात्रा के लिए हथियार और प्रणालियों की अधिप्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है और यह दीर्घावधिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी) एवं वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) पर आधारित होती है जिसके लिए सशस्त्र सेनाओं के समग्र बजट के अंतर्गत पर्याप्त बजटीय आवंटन उपलब्ध होता है।**

\*\*\*